

तत्काल

विषय:-

हरियाणा सिविल सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2025-26 के वेतन से आयकर की कटौती करने उपरान्त फार्म-16 उपलब्ध करवाने के सम्बंध में।

क्या

1. माननीय मुख्य मंत्री जी के मुख्य प्रधान सचिव/ प्रधान सचिव/ अतिरिक्त प्रधान सचिव/ उप प्रधान सचिव/ विशेष कार्यकारी अधिकारी/ राजनीतिक सचिव/ विशेष वरिष्ठ सचिव/ वरिष्ठ सचिव/ सचिव/ निजी सचिव।
2. मंत्रीगण के विशेष वरिष्ठ सचिव/ वरिष्ठ सचिव/ सचिव/ निजी सचिव।
3. मुख्य सचिव के विशेष वरिष्ठ सचिव।
4. सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों/ प्रधान सचिवों/ आयुक्त एवं सचिवों/ अतिरिक्त सचिवों तथा विशेष सचिवों के वरिष्ठ सचिव/ सचिव/ निजी सचिव।
5. सभी संयुक्त सचिवों/ उप सचिवों/ अवर सचिवों के निजी सहायक।
6. हरियाणा सिविल सचिवालय की सभी शाखाओं के अधीक्षक/ पुस्तकाध्यक्ष/ उप-अधीक्षक/ शाखा इन्चार्ज।
7. हरियाणा सिविल सचिवालय में कार्यरत सभी जिला न्यायवादी/ उप जिला न्यायवादी/ सहायक न्यायवादी/ मुख्य लेखा अधिकारी/ लेखा अधिकारी / अनुसन्धान अधिकारी।

उपरोक्त विषय की ओर ध्यान देने का कष्ट करेंगे ?

2. वित्त वर्ष 2025-26 के वेतन में से आयकर की कटौती उपरान्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध किया जाता है कि वे लेखा शाखा से अपना फार्म-16 दिनांक 29.07.2026 तक प्राप्त कर ले ताकि आयकर रिटर्न निर्धारित समयावधि के भीतर दाखिल किया जा सके।

सीमा वर्मा
अधीक्षक लेखा 10/6/26

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

office Phone No. 0172-2740001,226,326 RAX-5511

Email-superintendent1@gmail.com

सेवा में

1. माननीय मुख्य मंत्री जी के मुख्य प्रधान सचिव/ प्रधान सचिव/ अतिरिक्त प्रधान सचिव/ उप प्रधान सचिव/ विशेष कार्यकारी अधिकारी/ राजनीतिक सचिव/ विशेष वरिष्ठ सचिव/ वरिष्ठ सचिव/ सचिव/ निजी सचिव।
2. मंत्रीगण के विशेष वरिष्ठ सचिव/ वरिष्ठ सचिव/ सचिव/ निजी सचिव।
3. मुख्य सचिव के विशेष वरिष्ठ सचिव।
4. सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों/ प्रधान सचिवों/ आयुक्त एवं सचिवों/ अतिरिक्त सचिवों तथा विशेष सचिवों के वरिष्ठ सचिव/ सचिव/ निजी सचिव।
5. सभी संयुक्त सचिवों/ उप सचिवों/ अवर सचिवों के निजी सहायक।
6. हरियाणा सिविल सचिवालय की सभी शाखाओं के अधीक्षक/ पुस्तकाध्यक्ष/ उप-अधीक्षक/ शाखा इन्चार्ज।
7. हरियाणा सिविल सचिवालय में कार्यरत सभी जिला न्यायवादी/ उप जिला न्यायवादी/ सहायक न्यायवादी/ मुख्य लेखा अधिकारी/ लेखा अधिकारी/ अनुसन्धान अधिकारी।

अशा क्रमांक 11/15/2023-3ए

दिनांक चण्डीगढ़, 10.06.2026